आई.एस. तिवाना, न्ययमार्ति के समाक्ष

मार्कफेड-याचिकाकर्ता
बनाम
हरजीत सिंह और अन्य-प्रतिवादी

1990 का सिविल संशोधन क्रमांक 2159

10 दिसंबर 1990

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227-मार्कफेड उपनियम-उपनियम 23 और 27-विधि अधिकारी द्वारा मार्कफेड की ओर से दायर किया गया मामला-प्रबंध निदेशक या विधि अधिकारी को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने वाली कार्यकारी समिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया-ऐसी याचिका- क्या विचारणीय है।

अभिनिर्धारित किया गया कि कार्यकारी समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा उपनियम 23 के तहत किया जाता है जिसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल का एक कर्तव्य एक कार्यकारी समिति और एक प्रशासनिक समिति की नियुक्ति करना होगा। विद्वान वकील प्रबंध निदेशक को अधिकृत करने वाली कार्यकारी समिति के किसी भी निर्णय या प्रस्ताव का उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है, वह विधि अधिकारी जिसके माध्यम से यह याचिका विचाराधीन आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी उसकी स्थिति उससे भी खराब है। इसलिए, मेरा विचार है कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।

(पैरा 2)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि 30 अप्रैल, 1990 के आदेश को कृपया अवैध घोषित किया जाए और न्याय के हित में इसे उलट दिया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आर.के. चोपड़ा

प्रतिवादी की ओर से जे.सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश कुमार अधिवक्ता और आर.के. गौतम, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

आई.एस. तिवाना, न्ययमार्ति

(1) यह याचिका मार्कफेड की ओर से दिनांक 30 अप्रैल, 1990 के श्रम न्यायालय के आदेश को आक्षेपित करने के लिए दायर की गई है-जिसमें पक्षों के बीच लंबित मुकदमे में दो प्रारंभिक मुद्दों का निपटारा किया गया है। इस याचिका की स्थिरता के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से इस आधार पर आपत्ति की गई है कि किसी भी स्तर पर मार्कफेड ने श्रम न्यायालय के उक्त आदेश का विरोध करने का निर्णय नहीं लिया और विधि अधिकारी, जिनके माध्यम से यह याचिका दायर की गई है, इस तरह का निर्णय लेने और इस याचिका को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं था।

(2) प्रत्यर्थी श्री चोपड़ा के विद्वत वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने उपर्युक्त संघ द्वारा बनाए गए उपनियमों के उपनियम 27 को संदर्भित किया है; प्रासंगिक भाग, यहाँ निम्नानुसार है:-

"फेडरेशन के प्रबंध निदेशक के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे: -

(viii) कार्यकारी समिति द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत होने पर फेडरेशन के नाम और उसकी ओर से मुकदमा करना और मुकदमा दायर करना।"

सहमति से कार्यकारी समिति का गठन उपनियम 23 के तहत निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल का एक कर्तव्य एक कार्यकारी समिति और एक प्रशासनिक समिति की नियुक्ति करना होगा। विद्वान वकील प्रबंध निदेशक को अधिकृत करने वाली कार्यकारी समिति के किसी भी निर्णय या प्रस्ताव का उल्लेख करने की स्थिति में नहीं है, वह विधि अधिकारी जिसके माध्यम से यह याचिका विचाराधीन आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी उसकी स्थिति उससे भी खराब है। अतः यह प्रमाणिक है कि किसी भी स्तर पर किसी सक्षम प्राधिकारी ने इस न्यायालय के समक्ष श्रम न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का निर्णय नहीं लिया। इसलिए मेरा विचार है कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। कोई खर्च नहीं।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा